Speed Post

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
डाकघरःकृषि मण्डी,न्यू पाली रोड
जोधपुर–342005(राजस्थान)
दूरभाषः0291-2729125,2729108

कमांक 976/शुअवंस/सुएवंसे (संपदा प्रकोष्ठ)/185(II)/2022 दिनांकः 31 अगस्त,2022

सेवा में,

M/s Vyas Advertising.
8, Jawari Market, Opp. Bheru Bagh,
Jain Mandir Lane, Near Dadu Dayal Vatika,
JODHPUR-342001
Ph. No. 9314712925

विषयः विज्ञापन के प्रकाशन बाबत ।
संदर्भःपत्र कं.1861/शुअवंस/कय/33(1)IX/2022 दिनांकः22.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञापन सामग्री को राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) एवं दैनिक भास्कर (हिन्दी) के जोधपुर संस्करण में प्रकाशन किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन सामग्री को आगामी राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) एवं दैनिक भास्कर (हिन्दी) के जोधपुर संस्करण में कम से कम जगह में प्रकाशन कर सम्बन्धित बिल तीन प्रतियों में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम बना कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाने का कष्ट करें। बिलों की छायाप्रति स्वीकार नही की जायेगी।

भवदीय,

चौहान 31/8/2022

(मनोज चौहान)
कय अधिकारी

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–

प्रभारी अधिकारी, सुचना प्रोद्यौगिकी प्रकोष्ठ,शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर– इस पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को संस्थान की वेबसाईड में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आवक क्र./Inward No. 157/IT/AFRI/Jul/....12
दिनांक/Dated: 31/08/2022

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)
डाकघर : कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर – 342005
ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE
Indian Council of Forestry Research & Education,
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment,Forests & Climate Change, Govt. of India)
P.O. Krishi upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342005

क्रमांक 03/शुवअसं/सुएवंसेप्र/संपदा प्रकोष्ठ/185-II/क्रय/2022 दिनांकः 31st अगस्त,2022

घास नीलामी की सूचना

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) के मुख्य परिसर, भू खण्ड संख्या 729 परिसर एवं विभिन्न प्रायोगिक क्षेत्रों में उगी घास की नीलामी दिनांक 07.09.2022 को अपराह्न 3.00 बजे की जायेगी। घास नीलामी से संबंधित शर्तो एवं नियमों की जानकारी संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईटः http://afri.icfre.org. पर उपलब्ध है।

क्रय अधिकारी

31/08/2022

घास नीलामी की सूचना

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) के मुख्य परिसर,भूखण्ड संख्या 729 परिसर एवं विभिन्न प्रायोगिक क्षेत्रों में उगी घास की खुली नीलामी हेतु **नीलामी दिनांक 07.09.2022** को अपराह्न **3.00 बजे सामुदायिक भवन में होनी है।** इच्छुक व्यक्ति जो नीलामी में भाग लेना चाहते हो वे मौके पर उपस्थित रहकर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्व साधारण से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले संबंधित जगहों पर उगी घास का मौका मुआयना हेतु कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक प्रभारी अधिकारी,संपदा प्रकोष्ठ एवं संबंधित प्रभागाध्यक्ष से संपर्क कर सकते है। नीलामी की प्रक्रिया निम्नलिखित शर्तो के साथ नीलामी स्थल पर उपस्थित समिति के समक्ष की जायेगीः-

नीलामी की शर्तेः-

1. बोलीकर्ता के साथ किसी अन्य व्यक्ति को सामुदायिक भवन में प्रवेश की अनुमति नही होगी। बोली में भाग लेने वाले बोलीकर्ता को मुख्य परिसर के मुख्य द्वार पर प्रविष्टि करवा कर ही अन्दर आना होगा।

2. नीलामी में भाग लेने से पहले 5,000.00 (अक्षरे पांच हजार मात्र) नीलामी स्थल समिति के समक्ष संपदा प्रकोष्ठ के कर्मिकों को जमा करवाने होगे। जो नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वापस की जायेगी।

3. जिनकी उच्चतम बोली होगी उन्हें मौके पर ही 10,000.00 (अक्षरे दस हजार मात्र) बतौर जमानत राशि जमा करानी होगी जो कि निर्धारित क्षेत्र की घास काटने के आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित प्रभाग की अनुशंसा लेकर लेखा अनुभाग से जारी चैक द्वारा लौटा दी जाएगी। लेखा अनुभाग से जारी जमानत राशि की रसीद कुल राशि का डिमाण्ड ड्राफट जमा करने के पश्चात दी जायेगी।

4. सफल कयकर्ता को कुल राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष में बना कर दिनांकः 07.09.2022 को कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी,संपदा प्रकोष्ठ में जमा करवानी होगी। घास नीलामी की पूरी रकम जमा होने के साथ-साथ घास काटने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।

5. सफल बोलीदाता द्वारा दिनांकः 07.09.2022 को कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी संपदा प्रकोष्ट में जमा नही करवाने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाऐगी। प्रत्येक क्षेत्र की घांस के लिए अलग अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी। विभिन्न क्षेत्रों की घास विकय निम्नानुसार आरम्भ होगीः-

1. मुख्य परिसर	-	3,000.00
2. 729 आवसीय परिसर	-	12,000.00
3. वन संरक्षण फिल्ड	-	7,000.00
4. इकोलोजी फिल्ड	-	45,000.00
5. वन आनुवाशिंकी (रोहिडा एवं बबूल प्रा.क्षेत्र)	-	15,000.00
6. आंवला प्रायोगिकी क्षेत्र	-	12,000.00
7.		

6. जिन क्षेत्रों में घास कटाई का आदेश दिया जाएगा, उन्हे एक किनारे से आरम्भ कर समान रूप से सभी प्रकार की घास को जड़ के पास से काटते हुए आगे बढ़ना होगा। छोड़-छोड़ कर घांस काटने की अनुमति नहीं होगी।

7. घास काटने के औजार एवं घास को ले जाने के साधन की व्यवस्था कयकर्ता को स्वयं करनी होगी।

8. प्रभारी अधिकारी,संपदा प्रकोष्ठ द्वारा कार्यदिश जारी किया जायेगा और कार्यदिश के दिन से 45 दिन की अवधि तक घास की कटाई पूरी करनी होगी। कटाई एवं ले जाने के संबंध में समयावधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

9. घास काटने का समय प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगा।

10. मुख्य परिसर के पीछे वाला गेट सुबह 6.00 बजे से 10.00 बजे तक और दोपहर 1.00 से 5.00 बजे तक ही खुला रहेगा।

11. घास नीलामी के क्षेत्रों में केवल घास काटने की ही इजाजत दी जाएगी व मवेशी चराने की इजाजत नहीं होगी। वहां उगे पेड़-पौधों को कोई नुकसान नहीं किया जायेगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार क्षतिपूर्ति बतौर जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिसमें जमानत राशि जब्त किया जाना भी सम्मिलित होगा। साथ ही भविष्य में होने वाली घास नीलामियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

12. आवासीय परिसर में से घास काटने के पूर्व वहां के रहवासी को सूचित करना होगा।

13. सभी प्रायौगिकी क्षेत्रों में फिल्ड इंचार्ज की उपस्थिति में घास काटी जायेगी

14. वन पारिस्थितिकी प्रभाग के प्रायोगिकी क्षेत्र में कार्य दिवसों में कार्यालय समय 9.00 सक 5.30 बजे तक में ही घास काटने की अनुमति होगी। इस प्रायौगिकी क्षेत्र में धांस काटने हेतु 45 की बजाय 55 दिवस का समय होगा।

15. मुख्य परिसर में आवासों की पीछे तथा रहवासियों द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों में घास काटने की अनुमति नही होगी।

16. मुख्य परिसर,कार्यालय भवनों के अन्दर तथा लॉन क्षेत्रों में घास काटने की अनुमति नहीं होगी।

17. घास को बाहर ले जाने के लिये प्रवेश द्वारों से ही आना जाना होगा। घास को बाहर ले जाने के पूर्व चौकीदार को जांच करना आवश्यक होगा। प्रायौगिक क्षेत्रों में संबंधित प्रभाग के अधिकृत कर्मचारी की देखरेख में घास को बाहर ले जाना होगा।

18. एक क्षैत्र में घास काटने वाले 06व्यक्तियों के नाम,पता एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी संपदा अनुभाग को देनी होगी। इनके अलावा अन्य व्यक्तियों को घास काटने के लिये अधिकृत नहीं किया जायेगा। घास काटने वाले व्यक्तियों के गेटपास संपदा प्रकोष्ठ से जारी किये जायेगे।

19. दोनो परिसरों एवं प्रायौगिक क्षेत्रों की अन्य किसी सामग्री से छेडछाड करना सख्त मना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान करने पर हर्जाना खर्चा नीलामीकर्ता को देना होगा।

20. नीलामी को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को होगा।

21. नीलामी की अधिकतम विकय को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को होगा।

कय अधिकारी. सदस्य	आहरण एवं संवितरण अधिकारी सदस्य	भंडार अधिकारी सदस्य	संपदा अधिकारी सदस्य

प्रभागाध्यक्ष वपाएवंजपप्रभाग सदस्य	for प्रभागाध्यक्ष वृसुप्रभाग सदस्य (प्रतिनिधी) (अशोक परमार)	प्रभागाध्यक्ष वसंप्रभाग सदस्य	प्रभागाध्यक्षा,सुविधा एवं सेवा प्रभाग अध्यक्ष